

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर 302005

फोन नः 0141-2228066, फैक्स नः 0141-2228065

ई-मेल : rmsc@nic.in

CIN:U24232RJ2011SGC035067

Website: www.rmsc.nic.in

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2017-18/ 349

दिनांक : 9/6/17

कार्यालय आदेश

M/s Health Biotech Ltd., Unit-II, Nalagarh Road, Baddi-173205, Dist. Solan (H.P.) की वर्ष 2015-16 हेतु औषधियों की निविदा क्रमांक F.02(169)/RMSC/PROCUREMENT/DRUG/NIB-01/2016/01 दिनांक 01.01.2016, के तहत औषधि Ofloxacin Oral Suspension IP 50mg/5ml [428] की दरों के न्यूनतम होने के कारण अनुमोदित कर दर अनुबन्ध किया गया था। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त औषधि सप्लाय करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक 862 दिनांक 19/09/2016 एवं 1403 दिनांक 18/11/2016 जारी किये गये थे।

उक्त क्रय आदेशों की पालना में निर्माता फर्म द्वारा, सप्लाय की गयी औषधि Ofloxacin Oral Suspension IP 50mg/5ml [428] को आरएमएससी की पंजीकृत प्रयोगशाला द्वारा टेस्ट कराये जाने पर औषधि के 05 बैचों को Microbial Examination Test में अवमानक कोटि का घोषित किया गया।

आरएमएससी की गुणवत्ता नीति के अनुसार नमूनों को पुनः जाँच हेतु अन्य पंजीकृत प्रयोगशाला में भेजा गया, जिसमें औषधि के उक्त बैचों की Microbial Examination Test में अवमानक कोटि के पाये जाने की पुष्टि हुई।

इस तरह निर्माता फर्म द्वारा अवमानक कोटि की औषधि आपूर्त की गई है। इस संबंध में निर्माता कम्पनी को कारण बताओ नोटिस जारी करके दिनांक 15/02/2017 को निगम की अनुशासन समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें फर्म की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि को सुनवाई का अवसर दिया गया। फर्म के प्रतिनिधि का तर्क था कि Microbial Examination Test के लिए प्रोटोकॉल निर्धारित नहीं है। फर्म की आपूर्ति के सम्बन्ध में औषधि नियंत्रक की राय के अनुसार यह औषधि Indian Pharmacopoeia में है तथा इसके प्रोटोकॉल निर्धारित हैं। प्रकरण को दिनांक 17/04/2017 को अनुशासन समिति के समक्ष रखा गया। अनुशासन समिति ने पाया कि फर्म द्वारा अवमानक कोटि की औषधि आपूर्त की गई है जो कि औषधि एवम प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के प्रावधानों के तहत Not of Standard Quality की श्रेणी में परिभाषित है।

निर्माता फर्म को नोटिस दिया जाकर स्पष्टीकरण मांगा गया कि क्यों न आपकी फर्म की उक्त औषधि को निविदा शर्तों के अनुसार डिबार कर दिया जाये? दिनांक 29/05/2017 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सुनवाई के लिये पुनः अवसर दिया गया जिसमें फर्म की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में अनुशासन समिति के समक्ष रखे गये तथ्य दोहराये गये कि Microbial Examination Test टेस्ट के लिए प्रोटोकॉल निर्धारित नहीं है। औषधि नियंत्रक की राय के अनुसार फर्म की आपूर्ति आधारहीन है।

निगम की अनुशासन समिति की अनुशंसा के आधार पर निविदा की शर्त संख्या 19(3) के उल्लंघन के दोषी होने के कारण डिबारिंग-दिशा निर्देशों के क्लॉज 4.5(2) के तहत निर्माता M/s Health Biotech Ltd., Unit-II, Nalagarh Road, Baddi-173205, Dist. Solan (H.P.) की औषधि Ofloxacin Oral Suspension IP 50mg/5ml [428] को यह आदेश जारी करने की तिथि से दो (2) वर्ष के लिए डिबार किया जाता है। उपरोक्त कार्यवाही पूर्व में जारी किये गये क्रयदेश/क्रय की गई अथवा रीप्लेसमेन्ट शुदा प्रश्नगत औषधि, जो गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाई जाती हैं, पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले की गई है।

प्रबन्ध निदेशक
आर.एम.एस.सी.

दिनांक : 9/6/17

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2017-18/ 349
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

- 1 प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2 प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर।
- 3 मिशन निदेशक, एन.एच.एम।
- 4 निदेशक, पी.एच/आर.सी.एच./एच.ए/ए.आई.डी.एस./एम.एस.यू/आई.ई.सी, चिकित्सा एवं स्वा. निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
- 5 प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश।
- 6 औषधि महानियंत्रक, भारत, नई दिल्ली।
- 7 औषधि नियंत्रक, राजस्थान/ हिमाचल प्रदेश।
- 8 निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.।
- 9 विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.।
- 10 कार्यकारी निदेशक (प्रोक्थोरमेन्ट)/वित्त/एल/ई.पी.एम एण्ड ए.जी.एम.(आई.टी) आर.एम.एस.सी.।
- 11 समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार, राजस्थान।
- 12 समस्त चिकित्सा सेवा निगम, गुजरात/केरल/तमिलनाडु/बिहार/छत्तीसगढ़/पश्चिम बंगाल/कर्नाटक/हरियाणा/मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र/जम्मू कश्मीर।
- 13 M/s Health Biotech Ltd., Unit-II, Nalagarh Road, Baddi-173205, Dist. Solan (H.P.)
- 14 आदेश पत्रावली।

कार्यकारी निदेशक (क्यू.सी.)
आर.एम.एस.सी.